

362

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक 90 3(55) नविनि / 3 / 02

जयपुर दिनांक 30.9.2005

संशोधन

सार्वजनिक व चेरीटेबल संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के संबंध में नीती बाबत जारी इस विभाग की समसंख्यक परिपत्र दिनांक 14.2.2005 में वर्णित निर्देश के क्रम संख्या - 16 के पश्चात निम्न प्रकार जोड़ा जात है :

राज्य सरकार द्वारा जिन शैक्षणिक संस्थाओं / अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक भवनों हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटित की जाती है उनमें ऐसी महिलाएँ एवं उनके पति जो आयकरदाता नहीं हैं अथवा बी० पी० एल० कार्ड धारक हैं उन महिलाओं एवं उनके परिवारजनों को फीस / शुल्क में कम से कम 50% की रियायत संबंधित संस्थान द्वारा दी जावेगी ।

आज्ञा से

(सी० एस० बेनीवाल)

शासन उपसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीया मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
5. निजी सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
8. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
9. अध्यक्ष / सचिव नगर सुधार न्यास अजमेर (रागरा)
10. सहित पत्रावली ।

(120)

(~~120~~)